चतुर्दश माला, खंड 1, अंक 5

FOR REFERNCE ONLY.

मंगलवार, 8 जून, 2004
18 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 3/2/85

(खण्ड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 8 जून, 2004/18 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

विषय		कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		1
सभा पटल पर रखे गए पत्र		1-5
नियम 377 के अधीन मामले		11
(एक)	आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सभी रेल आरक्षण काउंटरों को चालू करने तथा सनत नगर, आसिफ नगर तथा हिमायत नगर में अतिरिक्त रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. अंजनकुमार यादव	12
(दो)	प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना के पुनरुद्धार तथा 'मुम्बई रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड' को पर्याप्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मिलिन्द देवरा	12
(तीन)	जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री मदन लाल शर्मा	13
(चार)	गुजरात में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लाए जा रहे सीमेंट और इस्पात पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की अवधि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एस. गढ़वी	13
(पांच)	अररिया, बिहार में चक्रवात से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुकदेव पासवान.	14
(छह)	मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा गोंदिया के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा सर्वेक्षण के पश्चात् कटंगी और तिरोड़ी के बीच बड़ी लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन	14
(सात)	महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	14
(आठ)	अगरतला और कोलकाता के बीच एयरबस ए-320 को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री खगेन दास	15

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(नौ) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भीषण आग से प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	15
(दस) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बिहटा क्षेत्र में रेलवे फाटक पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	16
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रेल उपरिपुल के निर्माण के कार्य को शीघ्रता से पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मित्रसेन यादव	16
(बारह) तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के तटीय गांव पालावेरकाटु में उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता	
श्री ए. कृष्णास्वामी	16
(तेरह) मराठवाड़ा विकास निगम की हजीरा गैस पाइप लाइन परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	17
(चौदह) किसानों, विशेषकर केरल के किसानों के बकाया ऋणों की वसूली पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	17
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम तथा पुरुलिया के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	18
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री पवन कुमार बंसल	18
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	23-27
संशोधनों का पाठ	28-30

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष*

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका**

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*9.6.2004 को निर्वाचित।

**राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

मंगलवार, 8 जून, 2004/18 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष **महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव कृपया उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बलीराम कश्यप (बस्तर)

श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

श्री सुबोध बाबूराव मोहिते (रामटेक)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (भरतपुर)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 जो 3 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 2004 जो 28 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4/04]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5/04]

(3) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 6/04]

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 506(अ) जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट आपूर्ति अथवा वितरण के लिए कतिपय वस्तुओं को जूट पैकेज सामग्री में पैक करने की अनिवार्यता को विनिर्दिष्ट करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) का.आ. 507(अ) जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा

14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 930(अ) में प्रकाशित आदेश को निरस्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7/04]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 8/04]

(2) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1 और 2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9/04]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) वर्ष 2002-2003 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण (खंड-1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10/04]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 11/04]

(ख) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 12/04]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 444(अ) जो 1 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें खरीफ मौसम, 2004 के दौरान यूरिया के घरेलू उत्पादकों द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को यूरिया की आपूर्ति किए जाने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 13/04]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 14/04]

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 15/04]

(तीन) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 16/04]

(चार) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 17/04]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। कृपया मुझे किसी क्रम के अनुसार चलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने सूचनाएं दी हैं। मैंने श्री योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा है। उन्होंने सूचना दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुन ली जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सदस्यों की बात सुनुंगा। मैं एक ही समय सभी की बात नहीं सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया मुझे सहयोग दीजिए। मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने की अनुमति दी है। यदि आप सभी एक ही समय बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री शिवराज सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप। अब, श्री सुरेश कुरूप द्वारा कही गई बात को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

एक सुप्रभात, 'इंटरनेशनल हैरेल्ड ट्रिब्यून' ने हैदराबाद से अपना प्रकाशन शुरू किया...*(व्यवधान)* सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध में कोताही बरतने से भारतीय सेना के जवानों ने अपने जान गंवा दी।...*(व्यवधान)* इस मामले की जांच आवश्यक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, कारगिल में घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से प्रवेश करने का समाचार जानने में खुफिया विभाग पूरी तरह से विफल रहा है...*(व्यवधान)* रिपोर्ट को उजागर किया जाये और यहां बहस की इजाजत दी जाये।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कारगिल युद्ध के बारे में जो रिपोर्ट आई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने की अनुमति दी है लेकिन आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं मांग करता हूं कि सदन को बताया जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 6 जून, 2004 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हवाई हमले की सिफारिश करने के लिए सुरक्षा संबंधी केबिनेट समिति को 12 दिन लगे।...*(व्यवधान)* जिसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक जवान मारे गए।...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है। मैं मांग करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए और अविलम्ब जांच कराए जाने के आदेश देने चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि कारगिल के बारे में जो वस्तुस्थिति है, उसे सदन के सामने उजागर किया जाये और मैं सदन में इस मामले पर बहस की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)* कारगिल युद्ध में एयर पॉवर के इस्तेमाल में हुई देरी के कारण जो नुकसान हुआ, सरकार स्पष्टीकरण दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री जार्ज फर्नान्डीज यदि ये लोग आपको बोलने नहीं देते, तो मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने के लिए बुलाया है। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। मुझे खेद है। आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, जहां तक 6 जून, 2004 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" के "एयर स्ट्राइक डिले कास्ट लाइव्स: कारगिल रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट का संबंध है तो मैं कहना चाहूंगा कि शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हुए विलम्ब से ही हमारी वायुसेना आक्रमण करने में असमर्थ रही होगी। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को अपनी सेना जुटाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल गया और कई महत्वपूर्ण भारतीय सेना कर्मियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

मैं मांग करता हूं कि शीर्ष स्तर पर बैठे उन लोगों से भी उच्च स्तरीय जांच समिति संभवत: संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगे जाएं और ऐसा तंत्र तैयार किया जाए ताकि इस प्रकार का विलम्ब पुन: न हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप भी स्वयं को इससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि पिछली सरकार द्वारा कारगिल युद्ध में ठीक तरह से न निपटने के कारण बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों की मृत्यु हुई। यह एक गंभीर मामला है। अत: मैं मांग करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए और मामले की व्यापक जांच की जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कुंवर रेवती रमन सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)* भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि. को कुछ सुनिश्चित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण करने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई हैं...*(व्यवधान)* मैं सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुनील खां बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : 3 जून, 2004 को मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कनकसा विधानसभा क्षेत्र के अधीन राजबन्ध के आई ओ सी टर्मिनल पर भयंकर आग लग गई थी। सूचना प्राप्त हुई है कि बिजली गिरने के कारण आग लगी थी। मैंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया है। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन कार्मिकों, आई ओ सी के कर्मचारियों और समूचे प्रशासन के सामंजस्य से आग पर काबू पाया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां कृपया संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सुनील खां : हालांकि आई ओ सी प्राधिकारियों का मत है कि उन्होंने पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए हैं लेकिन वे सभी असफल हुए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी आई ओ सी टर्मिनलों पर विशेष कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भावी अनहोनी से बचा जा सके।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं भारत सरकार से अन्य एहतियाती कदम उठाने पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं जिसे वह किसी ऐसी ही भावी अनहोनी से निपटने के लिए उपयुक्त समझती हों। यह मेरा विनम्र अनुरोध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री थावरचन्द गेहलोत बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही केन्द्र सरकार के इशारे पर केन्द्रीय संस्थानों ने मध्य प्रदेश को मिल रही बिजली में 21 तारीख से लगभग 100 मेगावाट की कटौती कर दी है और पचास हजार मीट्रिक टन कोयले की कटौती कर दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया जिस विषय के लिए आपने सूचना दी है उसी पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : इसके कारण सारे मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या विकट रूप से खड़ी हो गई है। जनता परेशान है।... *(व्यवधान)* केन्द्र के इशारे पर राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करने का यह तरीका निन्दनीय है। मैं सदन के माध्यम से सरकार के इन कृत्यों की निंदा करते हुए मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार तत्काल कार्रवाई करके काटी गई बिजली और कोयले की पर्याप्त आपूर्ति मध्य प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार सुनिश्चित करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब डा. करण सिंह यादव बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कहिए। वही कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान में इस बार हुई प्याज की बम्पर फसल की ओर दिलाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी राजस्थान में किसानों को उसके उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज प्याज सौ रुपये प्रति क्विंटल यानी एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से व्यापारियों द्वारा मंडी में खरीदी जा

[डा. करण सिंह यादव]

रही है।...*(व्यवधान)* किसान सुबह से शाम तक अपने ट्रक, ट्रालियों और ऊंटगाड़ियों में प्याज को लिये हुए व्यापारियों का मुंह ताकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीददार नहीं मिल रहा है। अंतत: औने-पौने दामों पर जब किसान अपनी प्याज बेचकर जाते हैं तो उन्हें किराये पर लिये हुए वाहनों का किराया भी नहीं मिल पाता है।... *(व्यवधान)*

मैं अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, आज पश्चिमी राजस्थान के किसान मायूसी से केन्द्र में गठित किसान समर्थक सरकार की ओर देख रहे हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और तो और केन्द्र सरकार की एजेंसियां जैसे नैफेड आदि ने भी अपना फर्ज अभी तक नहीं निभाया है।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि इन संस्थानों में अब भी भाजपानीत सरकार के द्वारा बैठाये गये अधिकारी मौजूद हैं, जो किसानों की समस्याओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी भाजपा वाले सदन में मुझे किसानों की बात कहने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* इन लोगों ने देश में तथा गुजरात में साम्प्रदायिक वातावरण पैदा किया, कारगिल में सैकड़ों जवानों को शहीद करवाया, बड़े-बड़े घोटाले किये। आज ये मेरे जैसे नये सांसद को किसानों के पक्ष में अपनी बात कहने से रोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करवाकर यह सुनिश्चित करें कि राजस्थान में किसानों को प्याज के उचित दाम मिल सकें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.17 **बजे**

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों की कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, आज के लिए सूचीबद्ध ये सभी मामले सभा पटल पर रखे गए माने जायें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

(एक) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सभी रेल आरक्षण काउंटरों को चालू करने तथा सनत नगर, आसिफ नगर तथा हिमायत नगर में अतिरिक्त रेल आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हैदराबाद के रेलवे आरक्षण केन्द्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हैदराबाद की जनसंख्या 60 लाख से भी अधिक है। रेलवे आरक्षण केन्द्रों पर कई कंप्यूटर काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा तो बंद रहते हैं, जिसके कारण लोगों को रेलवे टिकट लेने के लिए लम्बी लाइनें लगती हैं और एक व्यक्ति का नम्बर डेढ़ से दो घंटे के बाद आता है। इससे हैदराबाद के लोगों को रेलवे टिकट लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सरकार से अनुरोध है कि हैदराबाद के रेलवे आरक्षण केन्द्रों में, जो कंप्यूटर काउंटर है, वह सभी खोले जाएं और जनसंख्या एवं रेलवे टिकट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हैदराबाद के सनत नगर, आसिफ नगर एवं हिमायत नगर में एक-एक रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जायें।

[अनुवाद]

(दो) प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना के पुनरुद्धार तथा 'मुम्बई रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड' को पर्याप्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री मिलिन्द देवरा (मुंबई-दक्षिण) : महोदय भारत के विभिन्न शहर आवास की बढ़ती समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुंबई में जनसंख्या का एक बड़ा भाग पुरानी और जीर्ण-शीर्ण इमारतों और झुग्गियों में रहता है। संपूर्ण वर्ष और विशेषतर मानसून के दौरान पुरानी इमारतों के ढहने से कई निवासियों की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने इन पुरानी इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु मुंबई मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड (मुम्बई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड) का गठन किया था।

दुर्भाग्यवश, धनराशि के अभाव में बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है। इसी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसम्बर 1985 में प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना बनायी थी।

केन्द्र सरकार ने मुंबई शहर में शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम (अर्बन रीन्यूवेल प्रोग्राम) हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया और मरम्मत की गयी।

प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना को तुरंत पुनरुज्जीवित कर बोर्ड को अतिरिक्त धनराशि जारी करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि मुंबई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजकोष में 50,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, इन इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की जाये।

[हिन्दी]

(तीन) जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर में बसने वाले इस मुल्क के मुहज़्ज़ब और मासूम लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो पिछले 5 सालों से अपने घर छोड़कर रह रहे हैं। जिनके घर तबाह हो गये हैं, माल-मवेशी मारे गये हैं और जमीन जंगल की तरह अख्तियार कर ली गयी है और लोग खुद एक टैंट में गुजारा कर रहे हैं। उन लोगों को राशन, कैश रिलिफ और मिट्टी का तेल चार-चार महीने से नहीं मिल रहा है। पिछले 10 साल से 78 करोड़ का एक पैकेज रियासती सरकार ने केन्द्र सरकार को रिकमेंड किया था, परंतु उनकी सैंक्शन नहीं दी गयी। जिसकी वजह से राजौरी, पुंछ और जम्मू जिलों में रिफ्यूजी आसमान के नीचे गुजारा कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रिफ्यूजी लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था की जाये। उनका बकाया रिलीफ फण्ड जल्दी प्रदान करें और रियासती सरकार को हिदायत दें कि उनकी परेशानियों को शीघ्र हल किया जाये। अब जबकि पीस प्रोसेस की बात की जा रही है तो उन पीड़ित लोगों को वापस बसाने और उनकी जमीन का बंदोबस्त पूरी तरह किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) गुजरात में भूंकप के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लाए जा रहे सीमेंट और इस्पात पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की अवधि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, 26.01.2001 के विनाशकारी भूकंप ने गुजरात के कच्छ जिले को पूर्णतया क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया। घरों और इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने भूकंप द्वारा नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण में काम आने वाले सीमेंट और इस्पात पर उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की थी। छूट की समय सीमा 31.12.2003 को समाप्त हो गई है जिसे अगले दो वर्ष तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि पचास प्रतिशत पुनर्निर्माण कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

(पांच) अररिया, बिहार में चक्रवात से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अररिया एवं बिहार में पिछले सप्ताह आये भयंकर तूफान एवं चक्रवात से हुई बरबादी और जान-माल के नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। खास कर अररिया में लगभग 50-100 लोगों की मरने की खबर है। वहां हजारों लोग बेघर हो गये हैं। उन्हें अविलम्ब राहत की आवश्यकता है।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि वे अररिया के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष से कम से कम पांच करोड़ रुपया जिला प्रशासन को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(छह) मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा गोंदिया के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा सर्वेक्षण के पश्चात् कटंगी और तिरोड़ी के बीच बड़ी लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत गोंदिया से जबलपुर एवं बालाघाट से कटंगी रेल मार्ग के आमान (गेज) परिवर्तन का कार्य प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत बालाघाट से गोंदिया छोटी लाईन की पटरियां उखाड़ दिये जाने के उपरांत 2 साल से अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु गेज परिवर्तन कार्य अत्यंत ही मंद गति से चल रहा है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। उपरोक्त आमान परिवर्तन कार्य को प्रथम प्राथमिकता पर लेने हेतु मेरा अनुरोध है, साथ ही कटंगी से तिरोड़ी के मध्य सर्वे करवाकर ब्रॉड गेज का निर्माण किया जाये।

(सात) महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति अधिक गंभीर होने के कारण तथा कामों में कमी के कारण अन्य राज्यों में लोग स्थानान्तरित होते जा रहे हैं। मजदूर वर्गों को काम, पशुओं को चारा व पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है।

मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र केन्द्रीय सहायता महाराष्ट्र शासन को दें और जल्द ही महाराष्ट्र शासन को स्थिति पर नियंत्रण रखने का निर्देश दें।

[अनुवाद]

(आठ) अगरतला और कोलकाता के बीच एयरबस ए-320 को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा के लोगों द्वारा अगरतला से कोलकाता की हवाई यात्रा के समय सामने आ रही समस्याओं की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंत में स्थित है और वह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। वहां यातायात का कोई अन्य विश्वसनीय और तीव्रगामी साधन उपलब्ध नहीं है अतः राज्य के निर्धनतम लोगों को भी कोलकाता और अन्य गन्तव्य स्थानों के लिए हवाई-यात्रा करनी पड़ती है। यह विशेषकर उन लोगों के बारे में सच है जिन्हें चिकित्सा और उच्च शिक्षा के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। अभी वहां से सुबह के समय एक ए टी आर है। यह उड़ान छोटी है और इसमें स्ट्रेचर पर मरीजों को नही ले जाया जा सकता है। इसमें प्रति यात्री केवल 15 कि.ग्रा. सामान ले जाने की अनुमति है। ये उड़ाने सभी भारतीय अखबार और दैनिक डाक भी नहीं ले जा पाती हैं। यह सामान अन्य उड़ान द्वारा शाम को अगरतला पहुंचाया जाता है। पहले वहां सप्ताह में ए-320 की नौ और बोइंग 737 की पांच उड़ाने थी। मानसून के दौरान अगरतला से जाने और आने वाली उड़ानों में अक्सर विलंब हो जाता है या वे रद्द कर दी जाती हैं।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुबह के समय ए टी आर के स्थान पर एयरबस ए-320 की उड़ान प्रारंभ किये जाने और मानसून के दौरान दोपहर बाद अन्य उड़ानों का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किए जाने की मांग की जाती है।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भीषण आग से प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चायल में दिनांक 30.05.2004 को दिन के 12.30 बजे करैली (अबुवर्क) मस्जिद के पास अचानक वहां बसे गरीब मजदूर (अल्पसंख्यक) समुदाय की बस्तियों में आग लगी, जिसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। लगभग 12 लोगों की जानें गयीं, काफी संख्या में लोग घायल (झुलस) हुए हैं। हादसे में ज्यादातर लोग एक समुदाय के (अल्पसंख्यक) हैं, जो रोज के कमाने-खाने वाले हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त आगजनी से पीड़ित लोगों को बसाया जाये एवं उन्हें रोजगार मुहैया कराने की कृपा करें।

(दस) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बिहटा क्षेत्र में रेलवे फाटक पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पटना के बिहटा क्षेत्र के गोमटी के पास, जो रेलवे फाटक है, उस पर यातायात काफी सघन है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यह एक संपर्क मार्ग है और यह रेलवे फाटक एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उपरिपुल के न होने से लोगों को रेलवे फाटक के आर-पार अपने वाहनों को ले जाने में काफी समय बरबाद करना पड़ता है एवं दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इस रेलवे फाटक पर रेलवे द्वारा एक उपरिपुल बनाने की मांग कई सालों से की जा रही है।

सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलवे फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण शीघ्र किया जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रेल उपरिपुल के निर्माण के कार्य को शीघ्रता से पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के मंडलीय मुख्यालय फैजाबाद नगर को उत्तर रेलवे को लाइन द्वारा दो हिस्सों में बांट देने और छः स्थानों पर रेलवे फाटकों के एक साथ बंद हो जाने पर आम जनता में पैदा होने वाली भारी यातायात की असुविधा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। रेलगाड़ी, मालगाड़ी एवं अन्य गाड़ियों के आने-जाने के समय पूरा यातायात ठप्प हो जाता है। जाम की समस्या के निदान हेतु मेरे ही पूर्व प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने फैजाबाद में ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है एवं धनराशि भी आबंटित की है, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है।

जिन कारणों से ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो रहा है, उन्हें समाप्त कराते हुए तत्काल ओवर ब्रिज का निर्माण सुनिश्चित कराने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के तटीय गांव पालावेरकाटु में उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : तमिलनाडु राज्य के तिरूवल्लूर जिले का पालावेरकाटु गांव एक तटवर्ती गांव है जहां पर कई बस्तियां हैं। इस गांव और इन बस्तियों के लोग आजीविका के लिए मुख्यतः मत्स्य पालन पर निर्भर है। पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए उन्हें मुख्य गांव पालावेरकाटु पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर का छिछले जल वाला क्षेत्र पार करना पड़ता है। छिछले जल वाले इस

क्षेत्र में एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त समुद्री जल को झील में निर्बाध बहाव के लिए मुंहाने पर गाद हटाने का एक स्थायी केन्द्र भी होना चाहिए। इससे मछुआरों को व्यापार में सहायता मिलेगी।

मैं माननीय भूतल परिवहन और पोत परिवहन मंत्री से इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तेरह) मराठवाड़ा विकास निगम की हजीरा गैस पाइप लाइन परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मराठवाड़ा डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा हजीरा गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव राज्य सरकार को दस साल पूर्व दिया गया था, जिससे मराठवाड़ा के कई जिलों को गैस पाईप लाईन से गैस की आपूर्ति होनी थी। राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भी भेज दिया है, किंतु उक्त प्रस्ताव पर समुचित कार्यवाही नहीं हुई है। इस गैस पाईप लाईन से मराठवाड़ा के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी और यहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिलेगा।

सरकार से अनुरोध है इस प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति दी जाए और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।

[अनुवाद]

(चौदह) किसानों विशेषकर केरल के किसानों के बकाया ऋणों की वसूली पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : केरल सहित संपूर्ण भारतवर्ष में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है कि इसका मुख्य कारण यह है कि आज भारत में किसान ऋण जाल में फंस चुके हैं।

कृषि-लागत के बढ़ने और कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट से ऋणग्रस्तता तेजी से बढ़ रही है जबकि सरकार ने कृषि को दी जाने वाली अधिकतर राजसहायता बंद कर दी है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि भारत सरकार जब तक कृषि ऋणग्रस्तता के बारे में व्यापक विधान न लाया जाए तब तक किसानों के सभी बकाया ऋणों की वसूली के अधिस्थगन की घोषणा करें। उक्त विधान में किसानों के 100000 रुपए तक के ऋण को माफ करने और भविष्य में 4 प्रतिशत की सस्ती ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने की गारंटी का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम तथा पुरुलिया के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : पश्चिम बंगाल में लोग काफी लम्बे समय से मांग कर रहे है कि झाड़ग्राम से पुरुलिया के बीच रेल लाइन का निर्माण किया जाए। यह मुद्दा कई बार लोकसभा में उठाया जा चुका है। इस मुद्दे पर लोगों ने प्रदर्शन और आन्दोलन भी किये है। इस रेल लाइन की कुल लम्बाई 136.24 कि.मी. है। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा इसका सर्वेक्षण और अनुमानित लागत का आकलन भी किया जा चुका है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे की झाड़ग्राम और पुरुलिया के बीच रेलवे लाइन का निर्माण आरंभ किया जा सके।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का कार्य लेंगे। अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—
>
> 'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 7 जून, 2004 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

(व्यवधान)

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के त्वरित विकास हेतु नई सरकार की नीतियों और योजनाओं का वर्णन करता है। यह उस आम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है जिसे गत छह वर्षों के दौरान विस्मृत कर दिया गया था व जिसकी उपेक्षा की गई थी। भा.ज.पा. सरकार की नीतियों और उसके बहुप्रचारित सुधारों ने आम-आदमी की उपेक्षा की।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हाल के चुनावों में, इस सदी के पहले चुनाव, आम लोगों ने अपने मतों के द्वारा भा.ज.पा. को निर्णायक रूप से बाहर कर दिया। भा.ज.पा. ने शीघ्र चुनाव कराकर बलिदान देने की वकालत की और भारत के लोगों ने उसे बलि चढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे न तो हार को पचा पाए हैं और न ही उनमें शालीनता है। इस चुनाव में देश के लोगों ने ऐसा प्रचार देखा जिसने भा.ज.पा. की रीढ़ कहे जाने वाले लोगों को तो सम्मोहित किया लेकिन आम लोगों पर उसका असर नहीं पड़ा। अंतहीन संसाधनों को पानी की तरह बहाकर इन्होंने 'भारत उदय तथा खुशनुमा एहसास' का प्रचार अभियान लोगों पर थोपा जिसका उनपर कई प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ा...*(व्यवधान)*

कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण तथा बदनाम करने वाला प्रचार अभियान चलाया गया था परंतु उन्होंने उत्तेजित हुए बिना अविचलित रूप से देशभर में भ्रमण किया।

वे जहां कहीं भी गईं भारी संख्या में उल्लास से भरे लोग उन्हें सुनने के लिए आए। उसका परिणाम हम सबके सामने है। उसका परिणाम देश के सामने है।...*(व्यवधान)* विख्यात लेखक श्री खुशवन्त सिंह ने भी लिखा है कि वे एकमात्र ऐसी सौ प्रतिशत भारतीय हैं जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज का नाम पुकारा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम हाथ जोड़कर आपसे बोलते हैं कि अपनी सीट्स पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इन चुनावों में मिली पराजय से भा.ज.पा. नेताओं को विनम्र हो जाना चाहिए तथा उन्हें आत्म-विश्लेषण करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैंने श्री जॉर्ज फर्नान्डीज का नाम पुकारा था लेकिन आपने उन्हें बोलने नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : स्वयं को इस देश की स्वघोषित अंतरात्मा कहने वाले ये लोग अपने उन्माद में शोर मचाते रहे लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने उस समय प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के अपने निर्णय की घोषणा की जबकि न केवल कांग्रेस के 145 संसद सदस्य अपितु संपूर्ण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और अन्य दलों के 320 से अधिक संसद सदस्यों ने उनके प्रति अपना समर्थन प्रकट कर दिया था। सत्ता का त्याग करने के अपने आप में अद्वितीय मामलों में से यह एक है...*(व्यवधान)* लेकिन, महोदय, इन लोगों में अपना दुष्प्रचार अभियान चलाए रखने का दुस्साहस है। उन्हें बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं आपको बोलने का अवसर प्रदान करूंगा, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : इन्होंने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की अपितु प्रतिबद्धता और धैर्यपूर्वक अपना कार्य करती रही। उनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं था। एक संकटपूर्ण स्थिति में कांग्रेस का नेतृत्व करने के प्रति सहमत होने के पश्चात उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उन्होंने प्रधान मंत्री का पद स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। वे वर्ष 1991 में भी इसे अस्वीकार कर चुकी थीं जब यह उन्हें थाली में रखकर परोसा गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी मेरे अच्छे मित्र हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : एक सच्चा भारतीय होने के नाते भारतीय इतिहास और सभ्यता के बारे में उनका ज्ञान और राष्ट्रीयता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निंदा अभियान चलाने वालों से कहीं अधिक है। वह अभियान चलाकर इन्होंने सभ्य संसार की नजरों में भारत की छवि को विकृत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे मंत्री नहीं हैं। उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति कैसे दे सकता हूं? वे कोई मंत्री नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं उनके लिए, केवल रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों को याद दिलाऊंगा। अपनी कविता 'भारत तीरथ' में टैगोर ने कहा है :

> ''नो वन नोज एट हूज बिडिंग सो मैनी स्ट्रीम्स ऑफ पीपल केम एण्ड लॉस्ट देमसैल्वस इन अवर सी। दे गेव एण्ड दे टुक; दे स्टीर्ड एण्ड दे मिक्सड, बट दे डिड नॉट एवर गो बैक फ्रॉम द वास्ट इंडियन बीचहैड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।''

वे यही समझने में असफल रहे हैं....*(व्यवधान)* महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने सत्ता पाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था अपितु उन्होंने श्री राजीव गांधी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य पुन: आरंभ करने हेतु इस चुनौती को स्वीकार किया था।

उनके लिए, धर्मनिरपेक्षता एक हठधर्म नहीं है बल्कि असीम विविधताओं वाले इस देश की उन्नति के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। इसे ध्यान में रखकर, उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया तथा भारत का शासन चलाने के लिए ''व्यापक, धर्मनिरपेक्ष तथा संगठित'' गठबंधन प्रतिस्थापित करने का काम हाथ में लिया। उनकी जीत तथा सत्ता का त्याग केवल यह सिद्ध करता है कि सेवा एवं कर्त्तव्य उनके जीवन का स्तोत्र उनका साहित्य, उनकी कविता, उनका दर्शन है। यह सेवा एवं कर्त्तव्य की समझ ही है, जिससे वे आगे बढ़ती रहीं, जिससे उन्हें महत्वाकांक्षा मिली एक सशक्त धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए यह उनके भविष्य की वसीयत संपदा है, यह उनकी प्रार्थना है।

उनके एक निर्णय ने सभी भाजपा नेताओं को बौना कर दिया है...(व्यवधान)

विपक्ष के नेता यहां विराजमान हैं, लेकिन वे सभा में उनके अपने सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं या नियंत्रण करना नहीं चाहते हैं। महोदय, हमने एक 'आर-पार की लड़ाई' के बारे में सुना है। आज 'आर-पार की लड़ाई' भाजपा के मुख्यालयों तक सीमित रह गई है...*(व्यवधान)* पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी काव्यात्मक परित्याग से बोले। लेकिन चुनाव परिणामों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि श्री वाजपेयी का श्री आडवाणी द्वारा पत्ता काट दिया गया है जिन्होंने ...*(व्यवधान)*

महोदय, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने कहा, भारत की जनता ने सुस्पष्ट निर्णय दिया है। इन चुनावों का निर्णय श्री राजीव गांधी की संकल्पना को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने एक वास्तविक विकसित देश के रूप में भारत को 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास किया... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी से सहयोग का अनुरोध है। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : छह वर्ष के शासनांतराल से प्रक्रिया में देरी हो गयी है लेकिन डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार शीघ्र ही नियति से हमारी भेंट कराएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी भी सभा है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इससे ज्यादा असहिष्णु क्या हो सकता है? वे हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि चुनावों का परिणाम अलगावादी एवं असहिष्णुतावादी ताकतों की अस्वीकृति है। माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि चुनावों का परिणाम विधि सम्मत शासन स्थापित करने के लिए है...*(व्यवधान)* महोदय, पिछली सरकार के प्रत्येक कार्य में असहिष्णुता का पुट था, हेकड़ी भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूर्ण अवसर दूंगा बशर्ते कि आप अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी से जोशीली बात सुनी जब आपके अध्यक्ष चुने जाने पर वे आपको बधाई देने खड़े हुए थे। अब इसे क्या हो गया है? विपक्ष के नेता उस तरफ बैठे हैं; लेकिन उस पक्ष के सभी सदस्यगण सभा के अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। महोदय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने की स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं की उपेक्षा की गई है। लोकतांत्रिक प्रकृति —जिसकी कमी का आज पुन: प्रदर्शन हुआ है। लोकतांत्रिक प्रकृति जो कि भारत जैसे विशाल एवं बहुविध देश को चलाने के लिए अति आवश्यक हैं, पूर्णतया नदारद थी; ऐसा लगता था जैसा सत्ता का नशा...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे गुजरात चुनावों की याद आती है...*(व्यवधान)* ''मोदी बनाम मुशर्रफ'' लिखे हुए विशालकाय चित्र लगवाए गए थे, जिनमें प्रत्येक गैर-भाजपा उम्मीदवार को दुश्मन दिखाया गया था जो साम्प्रदायिकता के आधार पर वोट मांग रहा था...*(व्यवधान)*

मुझे बस यही कहना है कि देश भा.ज.पा. को देख रहा है। शब्दों से नहीं लेकिन उनके कृत्यों से जनता निर्णय करेगी। जनता अपना निर्णय दे चुकी है; जनता ने चुनावों में उन्हें हरा दिया है। ऐसे कृत्यों से जनता उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी... *(व्यवधान)*

[श्री पवन कुमार बंसल]

राष्ट्र निर्माण के विराट कार्य को हमें एक बार फिर प्रारंभ करना है।...*(व्यवधान)*

महोदय, उनकी इस सोच को देखते हुए, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमारी सरकार का और हमारा नमन देश की जनता को जाता है, देश की जागरूक जनता को जाता है, जिसने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों को, जो देश को तोड़ना चाहते थे, देश को जोड़ना नहीं चाहते, उनको उखाड़ फेंका है।...*(व्यवधान)* जो स्थायित्व की बात करते हैं, सोवरेनिटी की बात करते हैं, देश को बनाने की बात करते हैं और देश को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभारना चाहते हैं,...*(व्यवधान)* उन लोगों ने हमारे देश का क्या हाल बना दिया है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे देश की जनता ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय 21वीं सदी में लिया है, जो पूरे इतिहास में एक नये पन्ने की तरह उभरेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का घोषणा पत्र है तथा कार्रवाई के लिए जनादेश है...*(व्यवधान)* इस देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने का जनादेश है। किसी के भी द्वारा भयभीत नहीं किये जाने के लिए यह जनादेश है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए जनादेश है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर वापस जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महत्वपूर्ण बात यह है कि आठ प्रतिशत से अधिक आर्थिक वृद्धि दर सुनिश्चित की जाए। पचास मिलियन परिवार या 250 मिलियन लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आठ प्रतिशत से अधिक आर्थिक वृद्धि दर से, जैसा कि पहले डा. मनमोहन सिंह ने हासिल की थी, हम पांच वर्षों की अवधि में एक सौ मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, कृषि पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। हमें कृषि में, ग्रामीण विकास में तथा सिंचाई में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। कृषि में निवेश 1994 में 33 प्रतिशत था जो गिरकर 2003 में लगभग 24 प्रतिशत तक आ चुका है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा। हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदय, हम इस तरह के व्यवहार से भयभीत नहीं होंगे।

शिक्षा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। शिक्षा वह चीज है जो भारत को इक्कीसवीं सदी में ले जाएगी। राजग सरकार ने हमारा भविष्य अव्यवस्थित कर दिया है...*(व्यवधान)* पिछले चार या पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपयों में से केवल एक रुपया शिक्षा पर, 34 पैसे स्वास्थ्य पर एवं 45 पैसे बाल विकास पर खर्च किये गये।

अध्यक्ष महोदय, कार्यान्वयन वह चीज है जिस पर हमें भविष्य में ध्यान देना चाहिए। कार्यान्वयन हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है। पिछली सरकार ने बहुत से उपायों की घोषणा की लेकिन कार्यान्वयन कहीं नहीं हो पाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित नई कार्यान्वयन पद्धति पंचायती राज प्रणाली की कायापलट कर देगी।...*(व्यवधान)* देश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के लिए एक मंत्रालय सृजित किया गया है तथा उस पंचायती राज को महात्मा गांधी ने क्रियात्मक रूप दिया था। उनके 'ग्राम स्वराज' तथा 'पूर्ण स्वराज' के सपने को संस्था का रूप दिया गया है तथा राजीव गांधी द्वारा क्रियात्मक रूप दिया गया। अब हम सप्रग तथा डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अपने सपनों को सफल होते देख रहे हैं।...*(व्यवधान)* संक्षेप में, अध्यक्ष महोदय, यह कार्य का संतुलित घोषणा पत्र है।

इस अभिभाषण में आर्थिक सुधारों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है; इस अभिभाषण में कृषि ग्रामीण सिंचाई तथा

अन्य क्षेत्रों में भारी निवेश की बात कही गई है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस अभिभाषण में उद्योग एवं निर्यातों को भुलाया नहीं गया। इस भाषण में महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है साथ ही इस अभिभाषण में लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने की बात कही गई है।...*(व्यवधान)* इस अभिभाषण में पिछली सरकार के उच्च वर्ग के प्रति झुकाव में भी सुधार की बात कही गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : काश वे मारे गए 4000 किसानों के लिए आवाज उठाते...*(व्यवधान)* काश, वे भारत की जनता के लिए आवाज उठाते; काश वे आर्थिक पुनरुत्थान के लिए आवाज उठाते...*(व्यवधान)* ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक हमारे यहां शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण न हो...*(व्यवधान)* लेकिन राजग सरकार के कृत्य प्रत्येक भारतीय के माथे पर एक स्थायी कलंक बन गए हैं... *(व्यवधान)* झाबुआ, मध्य प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर हुए दंगे प्रत्येक भारतीय के माथे पर कलंक हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमें न्याय चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस तरह से सदन नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 2.01 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सिंधिया बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया कहां है? क्या उन्होंने अपना भाषण पूरा कर लिया है?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जी हां, महोदय, वे अपना भाषण पूरा कर चुके हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं विपक्ष के नेता से अपील कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों को बैठने के लिए कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करना चाहते हैं तो वे जिन संशोधनों को पेश करना चाहते हैं उनका क्रमांक दर्शाते हुए पर्ची 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भिजवा दें। केवल ऐसे संशोधनों को ही पेश किया गया समझा जाएगा।

इसके पश्चात् पेश किए गए समझे गए संशोधनों को दर्शाने वाली सूची सूचना-पट् पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई विसंगति मिलती है तो वे कृपया इसे तुरंत पटल अधिकारी के ध्यान में लायें।....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री सोमाभाई जी पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तव प्रस्तुत हुआ:–

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 7 जून, 2004 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

अब, प्रो. राम गोपाल यादव बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. राम गोपाल यादव, क्या आप बोलना चाहते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, इतने शोर में मैं कैसे बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संशोधनों का पाठ

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर विधानमंडल द्वारा पारित 'जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्वायत्तता संबंधी संकल्प' को कार्यान्वित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कश्मीर को भी तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर लाया जायेगा ताकि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को रोजगार के सम्मानजनक अवसर मिल सकें।" (2)

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक मंत्रालय सृजित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हज यात्रियों को दी जाने वाली राज सहायता पुनः शुरू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हैदराबाद को 'क' श्रेणी के शहर की स्थिति प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाये**, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या की निरंतर बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (230)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 9 जून, 2004 को **पूर्वाह्न** ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 जून, 2004/ 19 ज्येष्ठ, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/1/5/2004 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।